

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
गोपालगंज/नालन्दा/भोजपुर (आरा)/भागलपुर/  
बेगूसराय/रोहतास/किशनगंज/सीवान/सीतामढ़ी/  
अररिया/खगड़िया/शेखपुरा/गया तथा वैशाली।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषय:- विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त अधियाचित राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक-1324, दिनांक 03.03.2016 के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2015 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आपसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय पत्रांक-04, दिनांक 09.06.2015, पत्रांक-07, दिनांक 23.06.2015, पत्रांक-10, दिनांक 11.08.2015 एवं पत्रांक-18, दिनांक 08.03.2016 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त संलग्न विवरणी-1 के अनुसार कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में क्रमशः ₹ 10,88,78,000, ₹ 7,70,13,000 एवं ₹ 2,71,62,000 यानि कुल ₹ 21,30,53,000 (ईक्कीस करोड़ तीस लाख तिरपन हजार रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना की मांग सं0-22 मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय, 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अंतर्गत सभी व्यय के लिए वित्त विभाग के पत्रांक-5294/वि0(2) दिनांक 17.06.2015 द्वारा प्रावधानित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

12. वांछित डी०सी० विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र छह माह के अंदर समर्पित किया जाये।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।  
अनुलग्नक-विवरणी-1

विश्वासभाजन

ह०/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब०गै०यो०-01-31/2015गृ०आ०.....पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/नालन्दा/भोजपुर (आरा)/भागलपुर/बेगूसराय/रोहतास/किशनगंज/सीवान/सीतामढ़ी/अररिया/खगड़िया/शेखपुरा/गया तथा वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-1

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब०गै०यो०-01-31/2015गृ०आ०.....पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/पूर्णिया/मुंगेर/तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर तथा मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-1


ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब०गै०यो०-01-31/2015गृ०आ०.....<sup>2406</sup>पटना, दिनांक<sup>29</sup> मार्च, 2016

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक-1324, दिनांक 03.03.2016 के प्रसंग में/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक- विवरणी-1

  
29.3.16  
सरकार के प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना के मांग सं०-22 तथा मुख्य शीर्ष-2055-मुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 001-निर्देशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-प्रतिनियुक्ति अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय विषय शीर्ष 13 01- कार्यालय व्यय, 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि का जिलावार विवरण :-

क्र०	जिला का नाम	13 01-कार्यालय व्यय	13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	गोपालगंज	10149000.00	5298000.00	0.00	15447000.00
2	नालन्दा	8261500.00	5053000.00	0.00	13314500.00
3	भोजपुर (अर)	31660000.00	5018000.00	6394000.00	43072000.00
4	भागलपुर	1200000.00	800000.00	500000.00	2500000.00
5	बेगूसराय	12500000.00	12500000.00	0.00	25000000.00
6	रोहतास	19246500.00	20570000.00	0.00	39816500.00
7	किशनगंज	1019000.00	0.00	913000.00	1932000.00
8	सिवान	2134000.00	1487000.00	6803000.00	10424000.00
9	सीतामढ़ी	0.00	0.00	10500000.00	10500000.00
10	अररिया	6420000.00	3284000.00	92000.00	9796000.00
11	खगड़िया	2953000.00	3712000.00	1960000.00	8625000.00
12	शेखपुरा	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00
13	गया	12035000.00	19291000.00	0.00	31326000.00
14	वैशाली	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	कुल	108878000.00	77013000.00	27162000.00	213053000.00

(इक्कीस करोड़ तीस लाख निरपन हजार रु०) मात्र

  
(आमिर सुमन)  
सरकार के प्रधान सचिव

28.3.16